म.प्र. जन अभियान परिषद्

(योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, म.प्र. शासन)
35 राजीव गांधी भवन–2, श्यामला हिल्स, भोपालः 0755–2660235, फैक्स : 0755–2660250
EMail- mpjap@rediffmail.com Website- www.mpjap.org

क्रं3530./ज.अ.प./2017 भोपाल, दिनांक28/12/2017

निविदा सूचना

जन अभियान परिषद के राज्य कार्यालय में उपयोग के लिये 25 लाख से अधिक टर्नओवर की संस्थाओं/ फर्मो से टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड वाहन किराये पर लेने हेतु निविदाये आमंत्रित की जाती है।

वाहन निविदा संबंधी निविदा फार्म एवं शर्तें आदि की जानकारी परिषद् की वेब साईट **www.mpjap.org** पर उपलब्ध हैं। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने व जमा करने की तिथि विज्ञप्ति प्रकाशित करने से अंतिम दिनांक 15.01.18 सायःकाल 05 बजे तक है, तथा दिनांक 17.01.2018 शाम 4:00 बजे निविदा खोली जायेंगी ।

कार्यपालक निदेशक
म.प्र. जन अभियान परिषद

म.प्र. जन अभियान परिषद्

(प्रपत्र-1 वाहन निविदा फॉर्म)

1. कार्य का नाम :..

2. संस्था/फर्म का नाम :..

3. संस्था/फर्म का पूरा पता :..

   (फोन/फैक्स नम्बर सहित) :..

4. संम्पर्क व्यक्ति का नाम :..

   मोबाईल नं. :..

5. संस्था/फर्म का

   पंजीयन क्र................................पंजीयन की वैधता तिथि................................

   जीएसटी नं...

   पेन नं.:...

   (वैध प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति सहित)

6. संस्था/फर्म के मुख्य कार्यालय से पृथक यदि कोई अन्य शाखा/कार्यालय हो तो उसका पूर्ण विवरण, पता, फोन नं. आदि बताए :..

   :..

7. संस्था/फर्म की वित्तीय स्थिति, बैंकों के नाम, पते एवं दूरभाष क्र. जिनमें संस्था/फर्म के खाते संचालित है :..

   :..

कार्यपालक निदेशक
(म.प्र. जन अभियान परिषद्)
मध्यप्रदेश

8. संस्था/फर्म के कारोबार में वार्षिक चलित राशि का विवरण (विगत 3 वर्षो का ऑडिटेड आय–व्यय तथा बैलेन्स शीट संलग्न की जाए) :...

9. संस्था/फर्म कितने वर्षो से संचालित है :...

10. संस्था/फर्म का पूर्व अनुभव (विगत 3 वर्ष) का संपूर्ण विवरणः–

सरल क्र.	शासकीय/अर्द्ध शासकीय संगठन का नाम व पता जिसमें कार्य किया हो	कार्यावधि (कब से कब तक)	लगाये गये वाहन की संख्या

11. संस्था/फर्म के साथ प्रतिभूति/धरोहर राशि के बैंक ड्रॉफ्ट का विवरणः–

डी.डी क्र. व दिनांक	अदाकर्ता बैंक व शाखा का नाम	राशि अंको में	राशि शब्दों में

12. संस्था/फर्म द्वारा आर.टी.ओ. रजिस्ट्रेशन का वैध प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जायेः–

दिनांकः–

स्थानः–

संस्था/फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं सील

कार्यपालक निदेशक
(म.प्र. जन अभियान परिषद)
मध्यप्रदेश

घोषणा–पत्र

एतद् द्वारा मैं.............................. पुत्र/पुत्री श्री............................आयु......................वर्ष निवासी............

....

(पूर्ण पता) यह घोषणा करता/करती हूँ , कि मेरे द्वारा वाहन व्यवस्था कार्य हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव से संबंधित सभी शर्ते ध्यान पूर्वक पढ़ ली गई है, तथा मुझे सभी शर्ते स्वीकार हैं। मैं न्यूनतम दरों के लिए निगोशियेशन का संपूर्ण अधिकार म.प्र. जन अभियान परिषद् को देता हूँ।

दिनांकः–

स्थानः–

संस्था/फर्म के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं सील

कार्यपालक निदेशक
(म.प्र. जन अभियान परिषद)
मध्यप्रदेश

1. वाहन व्यवस्था निविदा हेतु शर्ते

1. निविदाकर्ताओ के पास कम से कम 10 वाहन स्वयं अथवा फर्म के नाम पर अनुबंधित वर्ष 2014 व उसके पश्चात परिवहन कार्यालय में टेक्सी कोटे में पंजीकृत होना आवश्यक है जिसकी छायाप्रति निविदा के साथ लगायी जाना भी अनिवार्य होगा। वाहन व्यवस्था कार्य में संलग्न एजेन्सी का विगत 03 वर्ष का वार्षिक टर्नओवर (रू. 50.00 लाख प्रति वर्ष) से कम नही होना चाहिए।
2. संस्था/फर्म अपनी दरें जिसमें समस्त लागत जैसे– डीजल, पेट्रोल व्यय, वाहन चालक तथा देय परिवाहन संबंधी सभी शुल्क शामिल होंगें। प्रस्ताव एकजाई शुद्ध राशि का प्रस्तुत हो।
3. आवश्यकता अनुसार कार्य को एक से अधिक संस्था/फर्म का सोंपा जा सकता है, एसी स्थिति में कई संस्थाओं को इम्पैनलमेंट किया जा सकता है,जिसका उपयोग देय सुविधा एवं आवश्यकता अनुसार किया जावेगां
4. संस्था/फर्म द्वारा एक बार उललेखित की गई दर राशि में परिवर्तन नही कर सकेगा। परिवर्तन किया जाना है, तो इसका अधिकार कार्यपालक निदेशक म.प्र. जन अभियान परिषद् के पास सुरक्षित रहेगा।
5. संस्था/फर्म जो वाहन निविदा प्रक्रिया में योग्य नही पाई जायेगी, उनकी प्रतिभूति राशि प्रस्ताव अस्वीकृत होने के पश्चात 30 कार्य दिवस के भीतर वापिस की जा सकेगी।
6. यदि किसी संस्था/फर्म को परिषद् कार्य करने के लिये अनुबंध करने हेतु आंमत्रित करती है और वह अनुबंध नही करता है, अथवा अनुबंध करने के पश्चात कार्य संपादन नही करता है, तो उसकी प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकार परिषद् के पास सुरक्षित रहेगा।
7. परिषद् द्वारा निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त प्रस्ताव पर कोई विचार नही करेगा और ऐसे प्रस्ताव को अमान्य समझा जायेगा।
8. परिषद् द्वारा संस्था/फर्म के अधिकृत केवल एक वैध प्रतिनिधि की उपस्थिति में निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्रस्तावों के खोलने की कार्यवाही की जायेगी। उपस्थित प्रतिनिधि यदि संस्था/फर्म की ओर से उनका प्रतिनिधि जो उस समय उपस्थित होंगें, उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करेंगें। संस्था/फर्मो के वैध प्रतिनिधि को अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी संस्था/फर्म की ओर से प्रतिनिधि उपस्थिति नही होता है तो भी प्रस्ताव खोलने की कार्यवाही समिति द्वारा निर्धारित समय एवं तिथि में पूर्ण की जायेगी, एवं संस्था/फर्म की ओर से कोई भी आपत्ति स्वीकार नही की जायेगी और न ही अलग से कोई जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।
9. स्वीकृत तथा अनुबंधित संस्था/फर्म आवंटित कार्य को किसी अन्य संस्था/व्यक्ति को उपठेका के रूप में हस्तांतरित नही करेगा।

कार्यपालक निदेशक
(म.प्र. जन अभियान परिषद)
मध्यप्रदेश

10. वाहन वर्ष .2014 अथवा उसके पश्चात् का मॉडल होना चाहिये। वाहन टैक्सी कोटा में रजिस्टर्ड होगा। वाहन का कम्प्रीहेन्सीव इन्श्योरेन्स अनिवार्य होगा।

11 .ब्लेक लिस्टेड तथा धोखाधड़ी आदि आपराधिक रिकार्ड धारी वाहन प्रदायकर्ता अपात्र माने जावेंगे तथा चयन की स्थिति में नोटराईज पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2. भरे हुये निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करनाः–

1. संस्था / फर्म को अपना प्रस्ताव विवरण तीन लिफाफों में प्रस्तुत करना होगा।

2. पहले लिफाफे में निविदा प्रस्ताव के साथ धरोहर राशि 30,000 रू बैंक / डिमांड ड्राफ्ट जो स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ.डी.आर. के रूप में कार्यपालक निदेशक म.प्र. जन अभियान परिषद् के पक्ष में देय हो, को रखकर सील चपड़ी से बंद कर पहला लिफाफा प्रस्तुत करना होगा।

3. दूसरे लिफाफे में तकनीकी बिड के साथ वांछित निविदा प्रस्ताव नीचे लिखे दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए जावे।

   3.1 सस्था के पंजीयन की वैध प्रति।
   3.2 वाहनों के मॉडल, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं टैक्सी कोटा में पंजीयन की वैध प्रति।
   3.3 वाहन के कम्प्रेहेन्सिव बीमा पत्र की वैध प्रति।
   3.4 वाहन के रोड टैक्स चुकता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
   3.5 विभिन्न मॉडल के टैक्सी कोटा में पंजीकृत वाहनों के पंजीयन एवं संख्या की जानकारी।

4 लिफाफा–एक की पूर्ति नही करने वाली फर्म की दर संबंधी लिफाफा–दो मान्य नही किया जायेगा। उसे बिना खोले ही वापिस कर दिया जावेगा।

5. तीसरा लिफाफे में फाइनेसियंल बिंड निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र अ में वाहन प्रदाय की दरें एवं अनुबंध की शर्ते स्वीकार होने की सहमति दी जावेगी।

6. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा स्पष्ट हस्ताक्षर किए जावेगे।

कार्यपालक निदेशक
(म.प्र. जन अभियान परिषद)
मध्यप्रदेश

3. निविदा प्रस्ताव स्वीकार होने पर अनुबंध की शर्तेः–

1 उपयोग के दौरान रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में दो घण्टे में वाहन सुधार कराकर उपयोग हेतु उपलब्ध कराना होगा। दो घण्टे से अधिक वाहन खराब रहने पर उस दिन का किराया नही दिया जावेगा। वाहन खराब होने पर वाहन को गैरिज तक लाने का दायित्व भी वाहन प्रदाता का होगा।

2 वाहन प्रदाता को कार्यालय की मॉग अनुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। मॉग अनुसार वाहन उपलब्ध नही कराने की स्थिति में वाहन प्रदायकर्ता द्वारा जमा कराई गयी प्रतिभूति राशि में से रूपये एक हजार प्रति दिवस अर्थदण्ड के रूप में काटा जाएगा तथा इसकी पुनरावृत्ति होने पर स्वीकृति निरस्त की जावेगा।वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी से प्रतिदिन मीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लॉगबुक में कराना होगा और प्रमाणित लॉगबुक की प्रतिलिपि देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3 माईलो मीटर की खराबी अथवा अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सड़क मार्ग की निर्धारित दूरी अनुसार ही देय मान्य किया जावेगा।

4 वाहन की लॉगबुक वाहन उपयोगकर्ता द्वारा जहां पर वाहन बुलाया गया है वहां से मान्य होगी।

5 निविदा जमा करते समय धरोहर राशि 30,000/– का बैंक ड्राफ्ट, कार्यपालक निदेशक जन अभियान परिषद् भोपाल के नाम से कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा मान्य नही की जावेगा।

6 निविदा स्वीकार करने/अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय कार्यपालक निदेशक, जन अभियान परिषद् भोपाल का होगा। यह निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा एवं प्रसताव की स्वीकृति से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा संस्था/फर्मो से निगोशियेशन कर दरों को न्यूनतम किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी। परिषद की इस कार्यवाही से संस्था/फर्म को होने वाली किसी भी प्रकार की हानि या जोखिम का उत्तरदायित्व परिषद का नही होगा, न ही संस्था/फर्म द्वारा इस संबंध में किसी भी तरह की न्यायिक कार्यवाही की जा सकेगी।

7 वाहन आवश्यकता/मॉग अनुसार बैठक/कार्यशाला/क्षेत्र भ्रमण हेतु समय–समय पर किराये पर लिये जायेगें तथ वाहनों की आवश्यकता/मॉग अनुसार वार्षिक/मासिक/दैनिक किराये पर लिये जा सकेंगे। वाहन आवश्यकतानुसार वाहन जिले से बाहर भी प्रदेश के अन्य स्थानों पर भेजा जा सकेगा। मुख्यालय से बाहर भ्रमण हेतु दैनिक किराये पर लिये जाने वाले वाहन की दरें पृथक से देवें।

8 मासिक आधार पर किराये पर लिये जाने वाले वाहन को न्यूनतम 1000 किलोमीटर प्रतिमाह और 12 घंटे प्रति दिवस हेतु लिया जायेगा। वाहन का उपयोग अधिक किये जाने पर अतिरिक्त प्रति किलोमीटर/प्रति घंटा की दर का भुगतान निर्धारित दर अनुसार किया जायेगा।

कार्यपालक निदेशक
(म.प्र. जन अभियान परिषद)
मध्यप्रदेश

9 निविदा द्वारा मान्य दरें आगामी एक वर्ष के लिये लागू रहेंगी तथा सेवायें संतोषप्रद होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति होने पर अनुबंध आगामी वर्षों हेतु बढाया जा सकेगा।

10 वाहन प्रदायकर्ता को शासन में जमा किये जाने वाले कर के चालन की छायाप्रति म.प्र. जन अभियान परिषद् को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

11 वाहन व्यवस्था के विरूद्ध पुलिस अथवा शासन स्तर पर कोई वित्तीय अनियमितता, आर्थिक धोखाधड़ी से संबंधित एवं आपराधिक प्रकरण नही होना चाहिए एवं बर्खास्तगी प्रकरण भी नही होना चाहिए।

12 किसी भी स्थिति में अग्रिम भुगतान नही किया जावेगा।

13 बंधक रखी वाहनों के संबंध में तथा वाहन के मालिकाना हक आदि विवाद की स्थिति में इस कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा एवं वाहन जब्त होने की दशा में निविदाकार तत्काल दूसरा वाहन उपलब्ध करायेगा।

14 वाहन मय वाहन चालक के प्रभारी अधिकारी/संबंधित अधिकारी के नियंत्रण में सदैव उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य हैं।

15 वाहन किराये का भुगतान प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात निविदा अनुबंध के अनुसार निर्धारित दरों पर बिल के सत्यापन के पश्चात् ही किया जावेगा।

16 वाहन को उपयोग करने वाले अधिकारी द्वारा लॉग बुक सत्यापित की जावेगी जिसके लिये वाहन में लॉग बुक रखना तथा वाहन चालक द्वारा उसे प्रति दिन संबंधित अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य होगा।

17 वाहन के साथ फर्स्ट-एड बॉक्स, स्टेपनी, टूल किट, नेपकिन्स, टॉवल मोबाईल चार्जर तथा माइलोमीटर चालू हालत में रखना अनिवार्य होगा।

18 वाहन की मरम्मत तथा शासकीय करों आदि का व्यय निविदाकार को स्वयं वहन करना होगा। वाहन चालक द्वारा मरम्मत या अन्य कार्य के लिए वाहन ले जाए जाने पर की गई अशासकीय यात्रा का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जावेगा।

19 वाहन चालक का आचरण/व्यवहार अच्छा होना चाहिये। वाहन चालक के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर वाहन तत्काल बंद कर दिया जावेगा,वाहन चालक के पास पांच वर्ष का वैध लाइसेंस होना चाहिये।

20 वाहन के उपयोग के दौरान दुर्घटना से होने वाली आर्थिक क्षति अथवा जनहानि के लिये किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति म.प्र. जन अभियान परिषद् द्वारा नहीं की जावेगी। वाहन चोरी, अग्नि, दुर्घटना तथा आंदोलन से होने वाली क्षति के लिये भी म.प्र. जन अभियान परिषद् जिम्मेदार नहीं होगा।

21 वाहन खराब होने की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था एजेंसी को करनी होगी अपरिहार्य परिस्थिति में अन्य वाहन का उपयोग करने के लिए प्रभारी अधिकारी स्वतंत्र रहेगें, जिस पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति निविदाकार द्वारा की जावेगी।

22 विभाग की आवश्यकतानुसार मांग पर स्वीकृत निविदा अनुसार एजेंसी द्वारा वाहन को एक घण्टे में निर्धारित स्थान पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। वाहन उपलब्ध न करा पाने की स्थिति में प्रति प्रकरण रूपये 1000/- की पेनाल्टी वसूल की जावेगी।

कार्यपालक निदेशक
(म.प्र. जन अभियान परिषद्)
मध्यप्रदेश

23 यात्रा के दौरान वाहन में पर्याप्त ईंधन भरवाने की जवाबदारी निविदाकार की होगी।

24 सेवा लगाये गये वाहन को बिना पूर्व सहमति के बदला नहीं जायेगा।

25 टी.डी.एस. की कटौती सीधे स्त्रोत से ही शासन द्वारा निर्धारित दर पर की जायेगी।

26 वाहन चालक को निविदाकर्ता द्वारा मोबाईल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिससे आवश्यकतानुसार वाहन चालक से सर्म्पक किया जा सके।

27 वाहनों की संख्या की कटौती या बढ़ोत्तरी निर्धारित दर व नियमों के अनुसार करने का अधिकार कार्यपालक निदेशक जन अभियान परिषद को रहेगा।

28 समस्त वाहन म.प्र. में रजिस्ट्रर्ड होना अनिवार्य हैं, वाहन सफेद रंग के हो अन्य रंगों के वाहनों पर भी विचार किया जा सकता हैं। वाहन 2014 व उसके बाद के अच्छी कंडिशन में मेंटेंन हो, वाहन के सीट व कुशन आरामदायक होना चाहियें, वाहन के अन्दर व बाहर साफ–सफाई होनी चाहिए और चीजें गरिमामयी होनी चाहिए।

29 समस्त वाहन पॉल्यूशन चेक व पी.सी.यू. स्टीफिकेट धारक होनी चाहिए। वाहन में अच्छे चरित्र के स्वच्छ व साफ परिधानों के साथ ड्राईवर रहेंगे। जो वाहन को कुशल चलाने व सुधारने में दक्षता रखते हो और व्यवहार कुशल हो।

30 वाहन में वाहन का पंजीयन, रोड़ टैक्स व ड्राईविंग लाईसेंस आदि पेपर अनिवार्य होना चाहिए।

31 यदि फर्म बगैर उचित व पर्याप्त कारणों से अपनी सेवायें वापस लेती है, तो समस्त लंबित देयकों के भुगतान की जिम्मेदारी जन अभियान परिषद् की नहीं होगी तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

32 माह में एक बार फर्म को सर्विसिंग के लिये कार्यालयीन अवकाश के दिन के लिये दूसरा वाहन उपलब्ध करवाते हुये पूर्व अनुमति से वाहन ले जाने का अधिकार होगा। मेंटनेंस के बाद वह वाहन वापस सेवा हेतु उपलब्ध करना होगा।

33 वाहन चालक व वाहन प्रदाता अनुबंधित फर्म संचालक/कर्मचारी द्वारा यदि मोटर व्हीकल एक्ट की शर्तो का उल्लघंन करता हैं तो जन अभियान परिषद् को वाहन के उपयोग नहीं किया जायेगा। वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा की जायेगी एवं वैकल्पिक व्यवस्था में किये गये व्यय की अंतर रशि का भुगतान वाहन प्रदाता अनुबंधित फर्म द्वारा किया जायेगा।

34 मासिक आधार पर लिये गये वाहन माह में सभी दिन कार्य करेंगें।

35 चयनित निविदाकर्ता द्वारा टौल टैक्स की राशि का वहन स्वयं किया जावेगा।

संलग्न किये है। जानकारी अंकित करें। :..

(आवेदक के हस्ताक्षर)

कार्यपालक निदेशक
(म.प्र. जन अभियान परिषद्)
मध्यप्रदेश

प्रपत्र – 2 (अ)

मासिक आधार से 12 घंटे प्रतिदिन के मान से (ए.सी./नॉन ए.सी.) वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु दर

क्रं.	विवरण	इंडिका	इंडिका विस्टा	इंडिगो	स्विफ्ट डिजायर/फोर्ड (एस्पायर ट्रेंड)	बुलरो	टवेरा	सफारी	इनोवा	स्कार्पियों	केरावान वाहन		टेम्पो ट्रेवलर	टाटा 407 लोडिंग	मिनी मेटाडोर
											डिलक्स	लग्जरी			
1	1000 किमी प्रतिमाह तक के लिए 12 घंटे प्रति दिवस नॉन ए.सी.														
2	1000 किमी प्रतिमाह तक के लिए 12 घंटे प्रति दिवस ए.सी.														
3	अतिरिक्त प्रति किमी की दर (1000 किमी के बाद) नॉन ए.सी.														
4	अतिरिक्त प्रति किमी की दर (1000 किमी के बाद) ए.सी.														
5	मुख्यालय से बाहर रात्रि विश्राम दर														

नोट – उपरोक्त दरों में (जी.एस.टी.) सम्मिलित है / नहीं है, (✓) चिन्ह लगाये।

कार्यपालक निदेशक
(म.प्र. जन अभियान परिषद)
मध्यप्रदेश

प्रपत्र – 2 (ब)

प्रतिदिन के मान से (ए.सी. / नॉन ए.सी.) वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु दर

क्रं.	विवरण	इंडिका	इंडिका विस्टा	इंडिगो	स्विफ्ट डिजायर / फोर्ड (एस्पायर ट्रेंड)	बुलरो	टवेरा	सफारी	इनोवा	स्कार्पियों	केरावान वाहन		टेम्पो ट्रेवलर	टाटा 407 लोडिंग	मिनी मेटाडोर	बस 35 सीटर	बस 55 सीटर
											डिलक्स	लग्जरी					
1	8 घंटे 80 किमी प्रतिदिन नॉन ए.सी.																
2	8 घंटे 80 किमी प्रतिदिन ए.सी.																
3	8 घंटे 80 किमी उपरान्त अतिरिक्त घन्टे की दर नॉन ए.सी.																
4	8 घंटे 80 किमी उपरान्त अतिरिक्त घन्टे की दर ए.सी.																
5	प्रतिदिन 250 किमी की दर नॉन ए.सी.																
6	प्रतिदिन 250 किमी की दर ए.सी.																
7	अतिरिक्त प्रति किमी की दर नॉन ए.सी.																
8	अतिरिक्त प्रति किमी की दर ए.सी.																
9	रात्रि विश्राम दर																

कार्यपालक निदेशक
(म.प्र. जन अभियान परिषद)
मध्यप्रदेश